फैसला
117
12.5.2026

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम सिरोही

प्रार्थी / अपीलार्थी
राजेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वेरापुरा, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी
राजस्थान जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा – मियाद प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम, 1956 प्रकरण संख्या 21 / 2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
12–5–2026	प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र, तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 04 / 2025 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 22–12–2025 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थी अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहने से admit Stage पर ही Not Press किया है एवं साथ ही इस प्रार्थना पत्र को भी Not Press किया है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का यह प्रार्थना पत्र जरिये Not Press इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। **अतिरिक्त जिला कलेक्टर** **सिरोही**	

नोट प्रेस